कैसे बचेंगी बेटियाँ?

डॉ० गीता यादव,
अध्यक्ष –राजनीति विज्ञान विभाग,
टी० डी० पी०जी० कॉलेज ,जौनपुर

वर्तमान समय में लड़कियों की दिन प्रति दिन घटती संख्या एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है। एक ओर तो हम तार्किकता आधुनिकता और शिक्षा बढ़ोत्तरी की बात करते है तो वही दूसरी ओर बेटियों के पैदा होने का गम भी मनाते है। सही मायनों में देखा जाये तो नर–नारी की समानता के दावे, समाजसेवी संगठन के प्रयास, सरकारी कदम, जागरूकता रैली आदि सभी खोखले प्रतीत होते दिखायी पड़ रहे है। विश्व के अन्य देशों की ही तरह भारत के लिए भी विकसित देश बनने के रास्ते में यह बहुत बड़ा अवरोध साबित हो रहा है। आज भी आधुनिकता व लिंगानुपात एक दूसरे के विरोधी है क्यों है? क्यों यह संकट बढ़ता ही जा रहा है? यह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है।

भारत में 1901 में 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएँ थी, जो 1991 में घटकर 927 हो गयी। यद्यपि 2001 तक बढ़कर यह संख्या प्रति हजार 933 महिलाएँ हो गयी। परन्तु यदि 6 वर्ष तक की उम्र तक की लड़कियों का अनुपात देखा जायें तो 1991 में 945 प्रति हजार से घटकर यह संख्या 2001 में 927 हो गयी। भारत के अपेक्षाकृत सम्पन्न और शहरीकृत राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात में यह अनुपात और कम है। यहाँ हजार लड़कों पर 900 से भी कम लड़कियाँ है। महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट के रूप में पहचाने जाने वाले अपेक्षाकृत सम्पन्न जिलों कोल्हापुर, सांगली, सतारा, अहमदनगर और सोलापुर जिलों में भी यह अनुपात 900 प्रति हजार से कम है। देश की राजधानी दिल्ली में भी 6 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का अनुपात 865 प्रति हजार है। राजधानी के ही सम्पन्न तथा उच्चवर्गीय दक्षिणी–पश्चिमी दिल्ली में तो यह अनुपात और भी कम 845 प्रति हजार है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार सुनियोजित तरीके से लैगिंक भेदभाव के कारण भारत में 5 करोड़ लड़कियाँ और महिलाएँ लुप्त हो रही है। इस प्रकार भारत में 1901 में जहाँ पुरुषों से केवल 30 लाख महिलाएं कम थी वहीं 2001 में यह कमी बढ़कर 3.5 करोड़ हो गयी। इसका मूल कारण सोनोग्राफी मशीने तथा अन्य तकनीकों के दुरुपयोग के कारण है। साथ ही देश का आर्थिक विकास तो हुआ है किन्तु पुरातन पंथी विचारों यथा पितृ सत्तात्मकता, बेटे की चाह, बेटी को पराया धन समझना आदि सोचों में कोई बदलाव नहीं होने से लिंग चयन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। देश के सभी राज्यों में एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट आयी है। देश के 50 प्रतिशत जिलों में तो शिशु लिंग अनुपात में राष्ट्रीय औसत की तुलना में और अधिक गिरावट दर्ज की गयी है। उत्तर भारत के राज्यों, हरियाणा, पजांब और जम्मू कश्मीर में शिशु लिंग अनुपात क्रमशः 830, 846 और 859 दर्ज किया गया है 2011 के जनगणना में कुछ चांकाने वाले खुलासे भी हुये है जिनमें मुख्य है सिक्किम व अरुणांचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट होना। मध्य प्रदेश में भी 2001 की तुलना में 2011 में बालिकाओं की संख्या 933 से घटकर 912 ही रह गयी है जो अब तक का सबसे निचला स्तर हैं।

एक अनुमान के अनुसार भारत में पिछले दस वषों में करीब डेढ करोड़ लड़कियों को जन्म से पहले ही मार डाला गया था फिर पैदाइश के बाद 6 वषों के अन्दर ही उनको मौत के मुँह में धकेल दिया गया। सन् 1961 में भारत में शिशु लिंग अनुपात 941 बालिकाँए प्रति एक हजार बालकों पर था जो लगातार गिरते हुयें सन् 2011 के जनगणना के अनुसार 940 बालिकाए प्रति एक हजार बालकों पर रह गया है। देश में शिशु लिगानुपात में हो रही गिरावट में सबसे अधिक तेजी पिछले तीन दशकों में आयी है।

भारत में प्राचीनकाल से ही नारी को धार्मिक रूप से बहुत ही उँचा स्थान दिया गया है। उसे देवी, माँ, महाशक्ति आदि का दर्जा प्रदान किया गया है। उसे पूज्यनीय माना गया है। परन्तु यह भी एक कड़वा सच है कि प्राचीनकाल से ही नारी पर विभिन्न प्रकार के विभेद जन्म से मृत्यु तक थोपें गये है। नारी को धार्मिक आर्थिक रूप से दोयम दर्जे का माना गया है। विद्वानों ने पुत्र जन्म की कामना के सामान्यतः तीन कारण निर्धारित किए हैं – आर्थिक उपयोगिता सामाजिक सास्ंकृतिक भूमिका और धार्मिक कर्मकाण्ड। पुत्र कृषि और व्यापार द्वारा परिवार के लिए धनार्जन कर बुढ़ापे में सहारा माने गये। पितृवादी समाज व्यवस्था में पुत्र सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता रहा है। भारतीय समाज के कर्मकाड के अनुसार मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा किया गया अतिंम संस्कार मुक्ति (मोक्ष) के लिए आवश्यक माना गया है।

भारत में लिंगानुपात में कमी का कोई एक कारण नहीं है। इसके बहुत से कारण है जो आपस में अनसुलझे सवालों की तरह गुथें हुए है। उन्हें अलग कर सुलझाना असम्भव सा प्रतीत होता है। क्षेत्र, जाति, धर्म और भौगोलिक रूप से इनमें इतनी विभिन्नता हैं कि कही कोई कारण महत्वपूर्ण हो जाता है तो दूसरी जगह वहीं नगण्य। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने महात्मा गांधी की 138 वीं जयंती के मौके पर केंन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रांलय की बालिका बचाओं योजना (सेव द गर्ल चाइल्ड) को लांच किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताया था कि लडकियों को लडकों के समान महत्व नहीं मिल रहा बालक–बालिका में भेदभाव हमारे जीवन मूल्यों में आई कमियों को दर्शाता है उन्नत कहलाने वाले राज्यों के साथ प्रगतिशील समाजों में भी इसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

वर्तमान समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ने, विज्ञान–तकनीक के विकास और तेजी से सामाजिक आर्थिक संबन्धों में परिवर्तन के बावजूद भी लिगांनुपात में कमी विद्यमान है। साथ ही इस संकट को बढ़ाने वाले नये आयाम भी जुड़ गये हैं। बढ़ती दहेज प्रथा के कारण जहाँ तमाम बहुएं मार दी जाती है वहीं इसी विकरालता के चलते लडकियों को गर्भ में ही मारने की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। जन्म–पूर्व लिंग निर्धारण की तकनीकी सुविधा ने इस समस्या को बद से बदतर बनाने में भूमिका निभाई है। आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी सम्पन्न और पढ़े–लिखे क्षेत्रों में लिगानुपात में तेजी से कमी आ रही हैं। भारत में विज्ञान तकनीकी के बढ़ते प्रयोग, शिक्षा, वैश्वीकरण, आधुनिकता आदि के बावजूद भी लोगों के भीतर पारम्परिक सोच बहुत ही गहरी पैठ बनाये हुए हैं। पढ़े–लिखे क्षेत्रों में लिगानुपात में तेजी से कमी आ रही हैं यही कारण है कि सम्पन्न क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती हैं। छोटा परिवार और सुखी परिवार के नारे ने लिगांनुपात के मामले में विपरीत भूमिका निभाई है। सुशिक्षित सम्पन्न जागरूक वर्ग, परिवार तो छोटा रखना चाहता है परन्तु लड़कों का मोह नहीं छोड़ पाता जिसके कारण विभिन्न साधनों का प्रयोग कर लड़की को दुनिया में आने से पहले ही समाप्त कर देता है।

वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जॉच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य ने सेक्स रेसियों में सुधार ने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने की सरकार ने एक नयी और अनूठी स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के तहत कोख में पल रहे बच्चे का लिंग जॉच करवा उसकी हत्या करने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपए की नकद इनाम देने की घोषणा की गयी है। प्रत्येक प्रदेश के स्वास्थ विभाग को ऐसा सकारात्मक कदम उठाने या की जरूरत है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व उनके आकड़ों में आयी गिरावट को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना चलाई गई है जिसके तहत पहली कन्या के जन्म के बाद स्थायी परिवार नियोजन अपनाने वाले माता–पिता को 25 हजार रुपए तथा दूसरी कन्या के बाद स्थायी परिवार नियोजन अपनाने वाले माता–पिता को 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पिछले कुछ वषों से राष्ट्रीय महिला आयोग पीसीपीएनडीटी ऐक्ट को ठीक से अमल में लाए जाने के लिए सघन अभियान चला रहा है। सरकार ने सन् 1994 में एक और पहल करते हुए लिंग परीक्षण हेतु अल्ट्रासाउंड के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जनवरी 1996 से लागू 'द प्रिनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीएनडीटी) ऐक्ट एण्ड रूल्स 1994 द्वक्षरा कन्या भ्रूण हत्या को परिभाषित करने की पहल की गयी है। नयी–नयी टेक्नोलाजी के विकास से इसे 2003 में संशोधित और इसके क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को देखते और प्रभावी बनाया गया है। इसे कानून के तहत लिंग जाँच कराना कानून अपराध है इस कानून का प्रथम बार उल्लंघन करने वाले डाक्टर अथवा व्यक्ति को 50 हजार रुपये तक के आर्थिक दण्ड के साथ–साथ तीन वर्ष कारावास की सजा दी जा सकती है इस तरह दूसरी बार उलघंन करने पर एक लाख रुपये का दंड और साथ ही पांच वर्ष तक कठोर कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इस प्रकार के परीक्षण अल्ट्रासाउण्ड के जरिए भी किए जा सकते है। दिल्ली के अपोलों अस्पताल में फीटल मेडिसिन यानी गर्भ में बच्चों की बीमारियों के विशेषज्ञ डॉ० पुनीत बेदी खेद व्यक्त करते हुए कहते है कि भारत में लगभग 30,000 डॉक्टर दौलत के लालच में तकनीक का दुरुपयोग कर रहे है। कुछ डॉक्टरों ने तो ऐसे विज्ञापन भी लगवाए जिन पर लिखा था आज 500 खर्च कीजिए कल दहेज के 5 लाख रुपये बचाइए।

"ऐसे लोग कन्या भ्रूण हत्या के अपराध में न सिर्फ भागीदार बनते है बल्कि बेटे की इच्छा रखने वाली माताओं को इसके लिए उकसाते भी है बेटे की ख्वाहिश तो हमेशा से थी लेकिन इन डॉक्टरों ने महिलाओं से कहा कि जब भी आपको लड़की नहीं चाहिए हमारे पास आ जाओं, हम गिरा देगे"। आज इस गम्भीर समस्या से उबरने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। कन्याओं पर हो रहे अत्याचार के विरूद्ध देश के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है। उनके सशक्तिकरण के लिए उनके अस्तित्व को बचाने के लिए हर प्रकार का सहयोग देने की जरूरत है और इस काम की शुरूआत घर से ही होनी चाहिए।

वास्तव में हमारे देश में यह कैसी परिस्थिति आ गयी है कि हमारे देश के सबसे समृद्ध राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिगांनुपात सबसे कम है। बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति सबसे अधिक अमानवीय और घृणित कार्य है। पितृ सत्तात्मक मानसिकता और बालकों को वरीयता दिया जाना ऐसी मूल्यहीनता है, जिसे कुछ चिकित्सक परीक्षण आदि सेवा देकर शर्मसार कर रहे है। यह अत्यंत चितात्मंक प्रश्न है कि देश के कुछ समृद्ध राज्य में अभी भी

इतनी जागरूकता के बावजूद भी भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में एक सी स्थितियां है कुछ राज्य ऐसे भी है जो इस गंभीर समस्या के समाधान में जुटे है तथा कुछ प्रभावकारी कदम भी आगे बढ़ाये है जैसे– गुजरात में डीकरी बचाओं अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अन्य राज्यों में भी इस ज्वलंत मुद्दे पर कठोर कदम उठाये जा रहे है। यह कार्य केवल कोई निश्चित सरकार या संस्था आदि नहीं कर सकती है। बालिका बचाओं अभियान को सफलता की उचाइयों तक पहुँचाने के लिए अगर कोई सही मायनों में सहायक है तो वह है आम जनमानस। बिना इनकी सक्रिय भागीदारी के समाज व देश नहीं बदल सकता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि एक ओर हम बेटियों को बचाने के लिए तरह–तरह के कायदों तो करते है पर उसपें अमल करने से पीछे भी छट जाते है। देश में पिछले चार दशकों से सात साल से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक समृद्धि और शिक्षा के बढ़ते स्तर का इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार में स्वास्थ और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव कॉग इस तथ्य से सहमत है। उनका कहना है, देश में 22,000 ऐसे क्लीनिक है जहाँ इस प्रकार के परीक्षण कराए जा सकते है। अतः इन पर निगरानी की आवश्यकता है। लड़कियों को जन्म से पहले मारने की प्रथा धीरे–धीरे उन जगहों पर भी प्रचलित हो रही है जो अब तक इससे बचे हुए थे। जम्मू कश्मीर राज्य के पंजाब के साथ लगने वाले जिले पहले से ही पंजाब की राह पर निकल पडे थे लेकिन अब तो श्रीनगर जैसे शहर में भी स्थिति चितांजनक हो गयी है। गर्भपात का प्रतिकूल असर महिला के स्वास्थ पर भी पड़ता है। एक गैर सरकारी संगठन ने–महिला उत्थान अध्ययन केन्द्र और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने एक संयुक्त प्रकाशन में चेतावनी दी है कि यदि महिलाओं की संख्या यूँ ही घटती रही तो 'महिलाओं के खिलाफ हिसात्मक घटनाऐं बढ़ जाएगी। विवाह के लिए अपहरण किए जाएगी उसे जवरदस्ती अनेक पुरुषों की पत्नी बनने पर मजबूर किया जायेगा, आदि।'

अरब जातियों में लड़कियों को जिंदा दफनाने की प्रथा प्राचीन असभ्य काल में प्रचलित थी। लेकिन भारत में कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा उन क्षेत्रों में उभरी है जहाँ शिक्षा खासकर महिलाओं की शिक्षा काफी उच्च दर पर है और लोगों को आर्थिक स्तर भी अच्छा है। महिला उत्थान के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संगठन 'जागू री' की अध्यक्षा कल्याणी मेनन सेन का कहना है "स्त्री जिस शिक्षा के लिए महिला आदोलंन चलाए गए, वही शिक्षा जहाँ पहुँची है वहाँ महिलाओं की संख्या घट रही है।" "महिला शिक्षा अपने आप में महिला उत्थान का कारण नहीं बन सकती बल्कि यह शिक्षा के उच्चतम स्तर पर निर्भर करता है।"

भारत में लिगांनुपात में कमी बहुआयामी समस्या का परिणाम है। इसलिए इसके लिए कई दिशाओं में प्रयास करना होगा, जिनके कारण लोग कन्या जन्म से डरते है। उडीसा राज्य में महिला तथा बाल कल्याण विभाग के प्रधान सचिव सतीश अनिहोत्री का कहना है "जहाँ–जहाँ पर महिलाओं की श्रम में भागीदारी अधिक है वहाँ यह समस्या कम है। लडकी को अवांछित बनाने वाले सामाजिक परिवेश को ही हमें बदलना होगा।"

इसके साथ–साथ वे इस बात पर भी जोर देते हुए कहते है कि स्त्रियों को श्रम भागीदारी ही काफी नहीं बल्कि उनके कार्य करने के स्थान पर उनकी भौतिक सुरक्षा का इतंजाम करना भी जरूरी है। महिला एवं बाल विकास मत्रांलय राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों से निर्मित इंस्पेक्शन एंड मानिटरिंग कमेटी कम शिशु

लिंगानुपात (0.6) वाले जिलों का दौरां कर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देती है।

इसके लिए उन कारणों को भी दूर करने का प्रयास करना होगा जिसके कारण लोग कन्या जन्म से डरते है। आज प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी भी बेटी बचाओं, बेटी–पढ़ाओं का नारा दे रहे है। स्वाभाविक है सरकार इस दिशा में गम्भीर है। परन्तु सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही इस भयावह समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। एक समय अंग्रेजी की यह कहावत बहुत मशहूर हुई थी '''' अर्थात् 'कानून अपना काम करेगा। भ्रूण के लिंग परीक्षण पर रोक, दहेज निवारक जैसे दण्डकारी कानून, अपनी जगह सख्ती से लागू किये जा सकते हैं इस बात से पूरी तरह इन्कार भी नहीं किया जा सकता कि वे एक हद तक सही रूप से अपना काम कर भी रहे है। किन्तु इस जघन्य अपराध से मुक्ति तभी मिलेगी, जब हमारी सोच में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। अपना मूल्य खो चुकी रूढ़ियों को तिलांजली देनी होगी। कोई भी शासकीय योजनाएँ एवं प्रोत्साहन तभी सफल होंगे जब समाज के बहुसंख्यक लोगों के विचारों में आमूल–चूल परिवर्तन होगें। अपार खुशी की अनुभूति तब होती है जब हाशियें पर खड़ी ऐसी भी सामाजिक व्यवस्थाएँ है जो मातृशक्ति से संचालित व संवर्द्धित होती है। जनगणना 2011 के आंकड़े (पुरूष 1000 महिला 940) इस बात के ज्वलन्त प्रमाण है कि यहां लिगानुपता अभी भी स्त्रियों के पक्ष में नहीं दिखाई देता है। क्या वर्तमान, आधुनिक भारतीय सभ्य समाज इस भयावह आंकड़ों से भी नसीहत नहीं ले सकेगा? इन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए बनें कानूनों को एक ओर तो सख्ती से लागू कराना होगा तो वही दूसरी ओर सामाजिक आदोलंन भी चलाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात को समझना, समझाना और महसूस कराना होगा कि यह एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह भी हम खुद है और इसका निदान भी हमसे ही संभव है। बस जरूरत है तो आगें बढ़कर एक कदम बढ़ाने की।

"यह प्रदीप जो दीख रहा है झिलमिल दूर नहीं है,

थककर बैठ गए क्या भाई! मंजिल दूर नहीं है।"

सन्दर्भ सूची

1. कन्या भ्रूण हत्या– अमर उजाला,पृ0– 17
2. कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप– योगेश चन्द्र जैन, 86–88
3. कन्या भ्रूण हत्या अध्याय–2 ,पृ0– 10–12
4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पृ0– 96–97 गिरिश चन्द्र पाण्डेय– प्रतियोगिता दर्पण
5. हिन्दुस्तान समाचार पत्र– 2 अप्रैल 2007
6. डॉ0 मंजूमिश्रा– वैश्वीकरण एवं नारी मुक्ति सन् 2010, पृ0– 315
7. योजना, अप्रैल 2011, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, पृ0– 35–36
8. दैनिक जागरण वाराणसी, 8 मार्च 2011